



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007

कार्तिक 28, 1929 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2377/79-वि-1-07-1(क)60/2007

लखनऊ, 19 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2007

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
21 सन् 1997 की  
धारा 10 का  
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 10 में अन्तर्निहित निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट के आधार पर दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से संचालित मोटर टैक्सियों के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कर एवं अतिरिक्त कर सदेय नहीं होगा।”

### उद्देश्य और कारण

मासिक टिकटवालों और यात्रियों के लिये सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिटों के आधार पर दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से संचालित मोटर टैक्सियों के सम्बन्ध में कर एवं अतिरिक्त कर से छूट की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै० मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।

No. 2377/LXXIX-V-1-07-1 (ka) 60/2007

Dated Lucknow, November 19, 2007

### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motoryan Karadhan (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the Governor on November 16, 2007 :-

### THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (SECOND AMENDMENT) Act, 2007

[U.P. ACT NO. 27 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

furtherto amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2007.

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, the following proviso shall be *inserted* in the end, namely :-

Amendment of  
section 10 of U.P.  
Act no. 21 of  
1997

“Provided that the tax and additional tax under this section shall not be payable in respect of Motor Cabs plying exclusively within the notified area of Noida, Greater Noida and Ghaziabad Development Authority from Delhi on the basis of permit issued by the Transport Authorities of National Capital Territory Delhi.”

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to making it convenient to the commuters and passengers, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) to provide for exemption from tax and additional tax in respect of motor cabs plying exclusively within the notified area of Noida, Greater Noida and Ghaziabad Development Authority from Delhi on the basis of permits issued by the Transport Authorities of National Capital Territory Delhi.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By Order,  
S.M.A. ABIDI,  
Pramukh Sachiv.